राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2637/2011/जयपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान, वार्ड–I, वृत्त–III, अलवर। .....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स ज्योति रोडवेज इन्दौर,
द्वारा श्री बख्तावर सिंह पुत्र श्री भैरू सिंह वाहन चालक। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री नत्थूराम सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी.पी.ओझा, उप राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी राजस्व की ओर से

अनुपस्थित। .....प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से

निर्णय दिनांक : 09/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा अपील संख्या 27/10/RST/APP-III/NRD/10–11 में पारित आदेश दिनांक 18.02.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, उडनदस्ता–द्वितीय, मुख्यालय, जयपुर (जिसे आगे **"कर निर्धारण अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.1996 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवद्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) के तहत् आरोपित शास्ति रूपये 87,750/– को अपास्त किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वाहन संख्या MP09K-5061 को दिनांक 06.10.1996 को चौमू चन्दवाजी रोड पर वाहन को रोक कर चैक किया गया। उक्त वाहन में लदा परचून माल दिल्ली से इन्दौर के लिए परिवहनित किया जा रहा था। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी ने परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी प्रस्तुत किये। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उपयुक्त दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होने से उन्होंने व्यवहारी को अधिनियम की धारा 78(5) एवं 78(8) के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस की पालना में व्यवहारी के अधिकृत प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब पेश करते हुए कथन किया कि व्यवहारी माल का सत्यापन करवाने में असमर्थ है। इस पर कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी की करापवंचन की मनोभावना प्रकट होना मानते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् शास्ति राशि रूपये 87,750/– का आरोपण किया गया एवं उक्त कृत्य में वाहन चालक/माल प्रभारी की सहभागिता मानते हुए अधिनियम की धारा 78(8) के तहत् शास्ति राशि रूपये 87,750/– कुल शास्ति राशि रूपये 1,75,500/– का आरोपण कर दिया। व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अपील अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर उन्होंने अधिनियम की धारा 78(8) के तहत् आरोपित शास्ति को अपास्त करते हुए अधिनियम की धारा 78(5) के तहत् आरोपित शास्ति के बिन्दु पर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर विभाग द्वारा यह अपील कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

निरन्तर.....2

3. विभागीय पैरोकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई, प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से बावजूद प्रकाशन कोई उपस्थित नहीं हुआ।

4. अपीलार्थी विभाग की ओर से विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता ने उपस्थित होकर बहस के दौरान कथन किया कि व्यवहारी द्वारा परिवहनित किये जा रहे परचून माल में बिना बिल एवं बिल्टी के 39 कार्टून बल्ब, मार्का नं. 493 एवं एक कार्टून कॉच के पैपर होल्डर तथा मार्का नं. 479 का एक बौरा बैसन 80 किग्रा. अलग से पाया गया, जो कि व्यवहारी की करापवंचन की भावना को दर्शाता है। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बिना बिल बिल्टी के माल का परिवहन किया जाकर करापवंचन में सहभागिता की गई है। इस प्रकार कर निर्धारण अधिकारी ने उचित रूप से शास्ति का आरोपण किया है। आगे उन्होंने अपने कथन में अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अपास्त करते हुए विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभागीय प्रतिनिधि की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया, एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रेकॉर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परचून माल ले जा रहे वाहन को चैक करने हेतु वाहन चालक/माल प्रभारी को वाहन रोकने को कहा। इस पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा वाहन को रोक दिया। तत्पश्चात् कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांगने पर वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा परिवहनित माल से संबंधित दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी। इस प्रकार वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी से किसी तरह का असहयोग नहीं किया गया तथा कर निर्धारण अधिकारी ने व्यवहारी पर अधिनियम की धारा 78(8) के तहत् शास्ति का आरोपण कर दिया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 78(8) का आरोपण कर चोरी में सहभागिता के लिए किया जाता है, परन्तु कर निर्धारण अधिकारी ने अधिनियम की धारा 78(8) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण हेतु नोटिस व्यवहारी को जारी किया, जो कि असहयोग करने पर उन्हें वाहन चालक/माल प्रभारी को जारी करना चाहिए था। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी पर किया गया शास्ति का आरोपण अविधिक होने से अपीलीय अधिकारी ने उसे अपास्त करने में कोई त्रुटि नहीं की है।

6. जहॉ तक प्रश्न है अधिनियम की धारा 78(5) के अन्तर्गत शास्ति आरोपण का तो कर निर्धारण अधिकारी द्वारा परिवहनित माल के साथ संलग्न दस्तावेज यथा बिल एवं बिल्टी को कही भी मिथ्या या बोगस साबित नहीं किया है, अतः इस बिन्दु पर अपीलीय अधिकारी द्वारा पुनः जांच कर शास्ति आरोपण हेतु प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है, यह उचित प्रतीत होता है।

7. परिणामस्वरूप अपीलार्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय आदेश दिनांक 18.02.2011 की पुष्टि की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य